

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/8475

दिनांक: 01.07.2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 01.05.2025 द्वारा श्री आशीष गांधी पार्षद वार्ड संख्या 21 को नगर पालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष पद हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्ण हो तक के लिये दिया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आशीष गांधी पार्षद वार्ड संख्या 21 को नगर पालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/8476-8487 दिनांक: 01.07.2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर/जिला कलक्टर डूंगरपुर।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा।
9. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सागवाड़ा।
10. श्री आशीष गांधी पार्षद वार्ड संख्या 21 नगर पालिका सागवाड़ा।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षितपत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.06.30 22:33:21 IST
Reason: Approved

